

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
देव राम पुत्र रामदेव रोम अहीर	देव राम पुत्र देव नरस पुत्र रामदेव रोम अहीर

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार देव राम पुत्र रामदेव रोम
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

13/1/18
सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)